# महानिदेशालय कारागार,राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः–सामान्य/3/2010/7635–7745 दिनांक 20.05.2010

स्थायी आदेश संख्या 02/2010

विषय :–बंदी कल्याण कोष से बंदियों के आश्रितों को शिक्षा हेतु छात्रवृति स्वीकृति के संबंध में ।

बंदी कल्याण निधि 1964 के नियम–5 (क) के अनुसार बंदी की आय का अन्य कोई स्त्रोत नहीं होने पर उनके बच्चों और अन्य आश्रितों को पढ़ाई के लिये छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है। उक्त नियम के अनुसार राज्य के सभी कारागारों में निरूद्ध दण्डित बंदियों के कक्षा छठी से उच्च कक्षाओं में नियमित रूप से अध्ययनरत आश्रित छात्र/छात्राओं को पूरे शैक्षणिक सत्र के लिये छात्रवृत्ति राशि दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

बंदी कल्याण निधि से छात्रवृत्ति स्वीकृत करने के लिये निम्न पात्रता निर्धारित की जाती है :–

I-छात्रवृत्ति हेतु शर्ते

1. दण्डित बंदी की न्यूनतम एक वर्ष सजा शेष होने पर ही आश्रित को छात्रवृत्ति देय होगी। इस एक वर्ष शेष सजा की गणना प्रार्थना पत्र दिये जाने वाले वर्ष की 1 जुलाई से की जायेगी तथा जुर्माने के एवज़ में दी गयी सजा की गणना नहीं की जायेगी ।
2. दण्डित बंदी एवं उसके परिवार का आय का अन्य साधन प्रमाणित होने पर छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की जायेगी ।
3. बंदी के पुत्र/पुत्री/अन्य आश्रित जो कि राजकीय विद्यालय/संस्था में अध्ययनरत है,उन्हें ही छात्रवृत्ति देय होगी । निजी अथवा राज्य सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में अध्ययनरत छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति देय नहीं है ।
4. किसी भी वर्ष में बंदी के अधिकतम दो पुत्र/पुत्री/अन्य आश्रितों को छात्रवृत्ति स्वीकृत की जायेगी ।

II-बंदियों को सूचना एवं प्रार्थना–पत्र प्रकिया

1. अधीक्षक/प्रभारी कारागार का यह दायित्व है कि प्रतिवर्ष माह अप्रैल में बंदी कल्याण निधि से छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना का समस्त दण्डित बंदियों के मध्य व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये ।
2. बंदी द्वारा छात्रवृत्ति हेतु प्रार्थना पत्र देने का इच्छुक होने पर उसे संलग्न प्रारूप में निःशुल्क प्रार्थना–पत्र (अधिकतम 2 प्रार्थना पत्र) कारागार प्रभारी द्वारा उपलब्ध कराया जाये तथा बंदी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वयं के परिजनों को प्रेषित करने की सुविधा दी जा जाये । बंदी के परिजनों द्वारा प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति बनाकर भी प्रार्थना–पत्र दिया जा सकता है ।
3. छात्रवृत्ति हेतु प्रार्थना पत्र बंदी से संबंधित पुत्र/पुत्री/अन्य आश्रित अथवा अन्य परिजन द्वारा भरकर अधीक्षक/प्रभारी कारागार को प्रेषित किया जायेगा ।
4. प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर अधीक्षक/प्रभारी कारागार द्वारा संबंधित बंदी से प्रार्थना पत्र के भाग–III पर प्रमाणीकरण करवाया जाये तथा प्रार्थना पत्र की उपरोक्त

5. प्रार्थना–पत्र अपूर्ण अथवा निर्धारित शर्तों को पूर्ण नहीं करने पर निरस्त कर बंदी को अवगत कराया जाये तथा इसे नस्तीबद्ध करें ।

III- छात्रवृत्ति की स्वीकृति तथा राशि का भुगतान

1. महानिदेशक कारागार द्वारा पात्र छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाकर मनी आर्डर द्वारा राशि प्रार्थना पत्र के भाग–I में अंकित पते पर भेजी जायेगी ।
2. छात्रवृत्ति हेतु देय राशि का निर्धारण प्रति वर्ष उपलब्ध राशि के आधार पर किया जायेगा ।

IV-लेखा संधारण

छात्रवृत्ति स्वीकृति, भुगतान एवं लेखा–संधारण के संबंध में पृथक से आदेश प्रसारित किये जायेंगे।

भवदीय,

संलग्नः–उपरोक्त–प्रार्थना–पत्र का प्रारूप

(ओमेन्द्र भारद्वाज)
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार,राजस्थान,जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. महानिरीक्षक कारागार,राजस्थान,जयपुर
2. मुख्य लेखाधिकारी,महानिदेशालय कारागार,राजस्थान,जयपुर
3. उप महानिरीक्षक कारागार, क्षेत्रीय कार्यालय (जोधपुर–बीकानेर) रेंज–जोधपुर एवं (कोटा–उदयपुर) रेंज–उदयपुर
4. समस्त अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह,राजस्थान
5. समस्त अधीक्षक/उप अधीक्षक, जिला कारागृह 'ए' एवं 'बी'श्रेणी /महिला बंदी सुधारगृह, जयपुर/जोधपुर
6. समस्त प्रभाराधिकारी,उप कारागृह,राजस्थान
7. प्रभारी,बाल बंदी सुधारगृह,घूघरा,अजमेर
8. कार्यालय अधीक्षक,महानिदेशालय कारागार,राजस्थान,जयपुर –स्थायी आदेशों की गार्ड फाईल संधारण हेतु ।

19/5/10

(ओमेन्द्र भारद्वाज)
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार,राजस्थान,जयपुर

सेवामें,

अधीक्षक / प्रभारी,

केन्द्रीय / जिला कारागार............................(कारागृह का स्थान जहॉ बंदी निरूद्ध है)

विषय :– छात्रवृति हेतु प्रार्थना

उपरोक्त विषयान्तर्गत बंदी कल्याण कोष से कृपया छात्रवृत्ति स्वीकृत करने का कष्ट करें । वॉछित विवरण निम्नानुसार है :–

भाग–**I** (व्यक्तिगत् विवरण)

1. बंदी का नाम जिस पर छात्र / छात्रा पुत्र / पुत्री आश्रित है
   दण्डित बंदी——————————————————————
2. आश्रित छात्र / छात्रा का नाम ..................................................
3. कक्षा जिसमें वर्तमान में अध्ययनरत है ...................................
4. बंदी का अन्य कोई आय का स्त्रोत है अथवा नहीं [ हॉ / नहीं ]
   (जो सही हो उसे (√) टिक करें)
5. छात्र / छात्रा अथवा वर्तमान अभिभावक का नाम एवं
   पूर्ण डाक पता जिसे छात्रवृत्ति की राशि भेजी जानी है :–
   ..................................................................................................................
   ..................................................................................................................

[छात्र / छात्रा का पासपोर्ट साईज फोटो]

निम्न दस्तावेज संलग्न है :–

(अ)गत् वर्ष की अंक तालिका की प्रमाणित प्रति

(ब) आय का प्रमाण पत्र (संलग्न निर्धारित प्रारूप में )

दिनांक

हस्ताक्षर छात्र / छात्रा अथवा अभिभावक

भाग–**II** (अध्ययन करने का प्रमाण–पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि ....................................पुत्र / पुत्री.......................................... निवासी............................................................... इस विद्यालय / शिक्षण संस्था की कक्षा....... में शिक्षण सत्र 20.......–20...... में अध्ययनरत है ।

दिनांक............

विद्यालय प्राध्यापक / आचार्य शिक्षण संस्था
के हस्ताक्षर मय मोहर

---

प्रार्थना पत्र भरने के निर्देश

1. छात्रवृत्ति का इच्छुक छात्र / छात्रा अथवा उसका अभिभावक भाग–**I** एवं **II** को पूर्ण कर डाक से अथवा स्वयं अधीक्षक / प्रभारी कारागार को प्रेषित करेगा।

2. प्रार्थना पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य हैं :–
   अ.गत् वर्ष की परीक्षा की प्रमाणित अंक तालिका प्रति
   ब.निर्धारित प्रारूप में आय का प्रमाण पत्र स्थानीय एस.डी.एम. / तहसीलदार द्वारा जारी

## भाग–III

मैं घोषणा करता हूँ कि छात्र/छात्रा का नाम ..........................................मुझ पर पूर्णतया आश्रित है तथा मैं भाग–I एवं भाग–II में अंकित सूचनाओं को सत्यापित करता हूँ । कृपया छात्रवृत्ति स्वीकृत कर भाग–I में अंकित छात्र/ छात्रा/अभिभावक के पते पर छात्रवृत्ति राशि भेजने का कष्ट करें ।

दिनांक

हस्ताक्षर बंदी

बंदी का नाम मय वल्दियत

## भाग–IV

### कारागार कार्यालय उपयोग के लिये

प्रार्थना पत्र निम्न कारणों से निरस्त किया जाता है :–

1.

2.

3.

अथवा

प्रार्थना पत्र निर्धारित शर्तों के अनुरूप है । अतः अभिशंसा के साथ महानिदेशक कारागार को छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाता है।

दिनांक.....................

हस्ताक्षर मय मोहर

अधीक्षक/प्रभारी कारागार

आय का प्रमाण पत्र निम्न प्रारूप में स्थानीय एस.डी.एम./तहसीलदार से प्राप्त कर संलग्न करें ।

प्रमाणित किया जाता है कि

छात्र/छात्रा का नाम..............................................पुत्र/पुत्री/..........................................................

निवासी..................................................................................................................................

दण्डित बंदी का नाम..........................................................................................................

पुत्र/पुत्री/पत्नी..............................................केन्द्रीय/जिला कारागार..........................में

निरूद्ध तथा निवासी..........................................................................................................

पर पूर्णतः आश्रित है ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त बंदी की आय का कोई स्त्रोत नहीं है।